राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

क्रमांकः प.3(2)भापुवि/जय/अनु.कम्प्यू.ऑपरे./पार्ट–2/2022–23/ 3173 जयपुर, दिनांक 8/7/22

किराये पर मशीन विद् मैन हेतु सीमित निविदा प्रस्ताव

निदेशालय भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर हेतु जॉब आधारित कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा कार्य की दर संविदा हेतु स्थानीय प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मो से दिनांक 18.07.2022 को 12.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र "अ" में उल्लेखित नियम व शर्तों को पूर्ण करते हुए वित्तीय दर प्रपत्र "ब" में प्रस्तुत करें। प्राप्त सीमित निविदा उसी तिथि को अपरान्ह में 2.00 बजे खोले जावेंगे। किसी भी एक या सभी सीमित निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(पूनम गुप्ता)
विशेषाधिकारी

क्रमांकः प.3(2)भापुवि/जय/अनु.कम्प्यू.ऑपरे./पार्ट–2/2022–23/ 3173-76 जयपुर, दिनांक 8/7/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सूचना पट्ट।
2. एस.पी.पी.पी. पोर्टल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि सीमित निविदा को पोर्टल पर अपलोड करें।
3. उप निदेशक (अनुवाद), स्थानीय कार्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

7/7/22
(पूनम गुप्ता)
विशेषाधिकारी

किराये पर मशीन विद् मैन की दर संविदा हेतु सीमित निविदा प्रस्ताव प्रपत्र

1. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिए सीमित निविदा प्रस्तावः–
2. सीमित निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित एवं पेन नम्बर ....

   ....

   ....
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....

   ....

   ....

   ....
5. किसको संबोधित किया गया – निदेशालय भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर
6. सीमित निविदा प्रस्तावसूचना संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक ....
7. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा जारी की गई सीमित निविदा प्रस्ताव सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त सीमित निविदा प्रस्ताव सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. सीमित निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में जॉब आधारित कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित है। वस्तु एवं सेवाकर **(GST) की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है।**
9. जॉब आधारित कम्प्यूटर ओपरेटर सेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 धंटे की अवधि में कर दी जाएगी। निदेशालय भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है। जॉब आधारित कम्प्यूटर ओपरेटर सेवा कार्य हेतु **प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें वित्तीय वर्ष .... के 12 माह (........................ से ....) के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

निविदा के साथ निम्न दस्तावेज अवश्य संलग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. पेन नम्बर।
3. बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
4. फर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता मय फोन नम्बर।
5. पूर्व में समान प्रकृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र'स') संलग्न है।

निविदा की शर्तें:—

1. निविदाएं उन पंजीकृत फर्मो (उद्योग विभाग/सहकारिता विभाग/श्रम विभाग से पंजीकृत हो तथा उनके कार्यो/उद्देश्यों में ऐसा अंकित हो) द्वारा ही दी जानी चाहिए जो अनुबंधित कार्मिकों के राजकीय कार्यालय व संस्थाओं में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखते हो तथा इस हेतु विभाग अथवा संस्थान से प्राप्त अनुभव/संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभवी फर्मो को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगें, उन्हें निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर के कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांयः 6.00 बजे तक रूकना होगा।
3. यदि सेवा—संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है, तो उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को तद्नुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।
5. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का चाल—चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
6. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था की होगी।
7. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
8. सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**
9. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर पर प्रस्तुत करने होगें। **विभाग द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता का कोषालय से Online द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।**
10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर को प्रपत्र "ब" के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई.पी. एफ/ई.एस.आई. की दरों में वृद्धि की जाती है तो कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।
11. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।

12. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालन की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

14. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना मय चालानों की प्रति के अगले माह के बिल के साथ निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में कम्प्यूटर ओपरेटर को किए गए भुगतान का विवरण भी आगामी माह के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगाः–

S. No.	Name of Computer with Operator	UIN No.	Name of Office	Basic Salary	No. Of Present days	Total Salary Payable	Employee's Contribution			Net Amount Paid to Computer with Operator (7-10)	Employer's Contribution			Total (7+14)	Computer Rant	Agency Service Charges	Total (15+16+17)
							EPF	ESI	Total (8+9)		EPF	ESI	Total (12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Total	
																SGCT	
																CGST	
																Grand Total	

15. कम्प्यूटर उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

16. स्थापित किए जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।

17. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिफल प्रथम बार सफल निविदादाता द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात् टोनर रिफलिंग व पार्ट्स का वहन विभाग द्वारा किया जावेगा।

18. कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसे अनुरूप कराया जाएगा।

19. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
20. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा की जाएगी।
21. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
22. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। किसी भी माह में 04 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रूपयें की कटौती की जाएगी।
23. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
24. यदि उपलब्ध कराये गये कम्पूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएँ प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा सूचित करने पर 07 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएँ उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर पैनल्टी स्वरूप विभाग में जमा प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा करवाये जाने का अधिकार निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर का होगा।
25. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
26. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 **या** इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशः–

कम्प्युटर स्पेशिफिकेशन	1. Machine Specifications A. Computer- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer of higher Speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Paralle & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software licence will be horne by the contractor. B. Printer – Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer. C. UPS- Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.
मैन पॉवर	2. Manpower- The Personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, Good Knowledge/Practice in word processor, spread sheets and Internet operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.

27. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–
   (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
   (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
   (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

28. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –
   (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
   (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
   (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
   (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।
   (ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
   (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
   (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
   (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

29. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि हैं।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

या

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या

के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

(पूनम गुप्ता)
विशेषाधिकारी

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

किराये पर मशीन विद् मैन सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव

प्रपत्र "ब"

वित्तीय बीड

1. फर्म का नाम ....
2. फर्म का पूर्ण पता..
   ....
3. टेलीफोन नं..
4. अमानत राशि रसीद/डी.डी. संख्या व दिनांक..
5. मैन विद् मशीन दर अंको में/शब्दों में...

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ श्रमिक की श्रेणी	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या			नियोक्ता का अंशदान		कम्प्यूटर किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रू	कुल GST as per Goverment Rual (SGST+CGST)	कुल राशि
		न्यूनतम मजदूरी दर प्रति इकाई राशि रू	श्रमिकों की संख्या	राशि	EPF दर राशि रू	ESI दर राशि रू				
1	2	3	4	5	6	7	8	19	11	12
1	Computer with Opertor (higher skilled)									

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के निर्देशानुसार मशीन विद मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना होगा।

प्रस्तुत निविदा की सभी शर्ते RTPP नियम 2013 के अध्याधीन होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर